

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

मुकाम

बनाम

किस्म मुकदमा

नम्बर

वर्ष

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	---

की सुनी गयी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 28/02/2025 को पेश हो।

Rajkumar

8/2/25 पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। प्रार्थी की बहस पूर्व में सूनी गयी। प्रार्थी ने पत्रावली में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रकरण में तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2024/4412 दिनांक 11.07.2024 को रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती कर दी जावें।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2024/4412 दिनांक 11.07.2024 का गहनता से अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबंदी ग्राम मण्डोली पटवार हल्का मण्डोली के खाता संख्या 160 में दर्ज खसरा नम्बरांन 145, 349, 350/2 में प्रार्थी का नाम राजू पुत्र सीताराम दर्ज होना पाया जाता है। प्रस्तुत साक्ष्य व रिपोर्ट तहसीलदार के प्रार्थी का सही व शुद्ध नाम राजकुमार पुत्र सीताराम होना प्रमाणित होता है।

अतः न्यायहीत में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू. राज. अधि. बाबत् रिकार्ड दुरुस्ती स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राज. अधि. बाबत् रिकार्ड दुरुस्ती स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि ग्राम मण्डोली पटवार हल्का मण्डोली के खाता संख्या 160 में दर्ज खसरा नम्बरांन 145, 349, 350/2 में प्रार्थी का नाम राजू पुत्र सीताराम के स्थान पर राजकुमार पुत्र सीताराम दर्ज किया जावे। आदेश की पालना मे तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।



राजवीर सिंह यादव
(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना